



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)

देहरादून, बुधवार, 28 नवम्बर, 2001 ई0

अग्रहायण 07, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 13/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 28 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 को दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन)

अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
(3) यह दिनांक 26-2-2001 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

धारा 4(1), 4(3),
4(6) में संशोधन

धारा 4-ए का
अन्तः स्थापना

2. (1) मूल अधिनियम की धारा 4 (1) व 4 (3) में "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" रख दिया जायेगा।
- (2) मूल अधिनियम की धारा 6 (1) में "विधान मंडल" के स्थान पर "विधान सभा" रख दिया जायेगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के उपरान्त निम्न धारा 4 ए (1), (2), (3), (4) तथा (5) तथा विशेष उपबन्ध (1) व (2) अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे।

(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में की बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर प्राप्त करने वाला विनिर्माता कर निर्धारक प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन स्वयं द्वारा प्रदाय किये गये माल और प्राप्त किये गये कर के सम्बन्ध में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राप्त किये गये कर को यथाविहित रीति और समय के भीतर जमा करेगा।

(3) जहां कोई विनिर्माता इस धारा के अधीन कर को प्राप्त करने से इन्कार करता है या जमा करने में असफल रहता है, वहां वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

(4) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माल विनिर्माता द्वारा उसके परिदान के पश्चात् और स्थानीय क्षेत्र में उसके प्रवेश के पूर्व खो गया है या नष्ट हो गया है वहां वह यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर उस व्यक्ति को जिसने उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान किया है, वापस कर दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि माल के खो जाने या नष्ट हो जाने के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पश्चात् ऐसे वापसी के लिये किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(5) धारा 5 के उपधारा (1) के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर निर्धारण नहीं किया जायेगा या उससे कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व विनिर्माता को भुगतान किये गए कर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध :-

(1) जहां किसी व्यक्ति ने विनिर्माता को इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन देय कर का भुगतान कर दिया हो, वहां विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किए गये कर को ऐसे प्रारम्भ से एक माह के भीतर मूल अधिनियम के अधीन विहित रीति से जमा करेगा और कर निर्धारक को कर एवं उस माल के सम्बन्ध में जिसके लिये उसके द्वारा कर प्राप्त किया गया है, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां कोई विनिर्माता उपधारा (1) के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है, वहां वह कर का भुगतान उस पर देय ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, सहित करने का दायी होगा जिसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

4. मूल अधिनियम में "उत्तर प्रदेश अधिनियम" के स्थान पर "उत्तरांचल अधिनियम" रख दिया जायेगा।

धारा 7(4) में
संशोधन

आज्ञा से,

(आर० पी० पाण्डेय)
सचिव।